अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष का सम्बोधन

----

1. देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी एवं ऐतिहासिक शहर शिमला में आयोजित पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी वर्ष सम्मेलन आज नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए निर्णयों के साथ संपन्न हो रहा है। इन 100 वर्षों की यात्रा में हमने लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई निर्णय लिए, कई फैसले किए।

2. आज वक्त आ गया है, वह समय आ गया है, जब हमारी आजादी के 75 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है। आज देश में व्यापक परिवर्तन आए हैं। विकास की यात्रा में अब नये बदलाव आये हैं। बदलते परिप्रेक्ष्य में विधान मंडलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गयी है।

3. जनप्रतिनिधि जनता की बढ़ती आशाओं और आकांक्षांओं को विधान मंडलों के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ सदन के माध्यम से ही सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं और लोगों की ज़िन्दगी में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकते हैं।

4. इसीलिए यह बात सही है कि हमें हमारी भूमिका के बारे में भी निर्णायक फैसले करने होंगे क्योंकि अब देश की जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जनप्रतिनिधियों और विधान मंडलों से बढ़ गयी हैं। अतः हम विधान मंडलों को जवाबदेह बनायें, परिणाममूलक बनायें ताकि जनता की हमसे जो आशायें और अपेक्षायें हैं, वे पूरी हो सकें।

5. इसके लिए आवश्यक है कि विधान मंडलों के सदन निर्बाध रूप से चले। सदन में बढ़ती अनुशासनहीनता, व्यवधान, हंगामे की बढ़ती प्रवृत्ति को हमें रोकना पड़ेगा, इसके लिए आवश्यकता होने पर सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे और यह अपेक्षा करेंगे कि सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चले।

6. इस सम्मेलन से पूरे देश को यह सन्देश जाना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी के रूप में हम अपने कर्तव्यों को अपनी पूर्ण क्षमता से निभाएंगे और सभी जनप्रतिनिधियों को जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करना हमारा पुनीत कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम निष्ठा से पूर्ण करेंगे। हमारी जिम्मेदारी सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाये रखने की है और यह कार्य हमें ही करना है, इस संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएँ।

7. अतः, मेरा आपसे आग्रह है कि सभी विधान मंडलों की नियम प्रक्रियाएं एक जैसी हों और उन नियम प्रक्रियाओं से सदन सुचारू रूप से चले, बिना किसी व्यवधान के चले, इसलिए विधानसभाओं के अंदर हमें अच्छी परंपराएं और परिपाटियाँ स्थापित करनी होंगी, जिससे हमारे सदनों की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े।

8. सदन में जनप्रतिनिधियों की प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि हमने कितनी बार व्यवधान पैदा किए, शोरगुल किया, कितनी बार सदन में तख्ती लेकर आए। बल्कि प्रतिस्पर्धा इस बात पर होनी चाहिए कि हमने अपने क्षेत्र में कैसे नवाचार किये, कैसे लोगों की ज़िन्दगी को बेहतर किया जिससे अन्य जनप्रतिनिधि भी प्रेरणा ले सकें और सदन में रचनात्मक कार्य के माध्यम से हम सकारात्मक बदलाव ला सकें।

9. बदलते परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी से विधान मंडलों की कार्यवाही को आधुनिक तकनीक से युक्त करने की आवश्यकता है। हम निश्चित रूप से 'वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफार्म' को निश्चित समय में तैयार करेंगे ताकि सभी विधान मंडल सामूहिक प्रयासों से अपनी वर्तमान तथा पुरानी डिबेट तथा अन्य संसाधनों को एक स्थान पर उपलब्ध करा सकें। इससे एक विधान मंडल दूसरे विधान मंडल की कार्यवाही, विचार और अनुभव से प्रेरणा लेते हुए जनता के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर सकें।

10. हमें प्रयास करना चाहिए कि हम विधान मंडलों की बैठकों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम एक निश्चित कार्ययोजना बनायें ताकि हम माननीय सदस्यों को अधिकतम समय और अवसर उपलब्ध करा सकें ताकि जनप्रतिनिधि अपने प्रदेश और देश के प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा कर सकें।

11. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी संसदीय समितियों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वे मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं। हमारी संसदीय समितियों के कार्यकरण में भी वर्तमान समय के अनुसार व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस विषय पर भी व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। हमें एक ऐसी परिपाटी विकसित करनी होगी कि पीठासीन अधिकारी वर्ष में एक बार संसदीय समितियों द्वारा किये गए कार्यों का मूल्यांकन करें और संसदीय समितियों को जनता के प्रति और जवाबदेह बनायें। पीठासीन अधिकारी आवश्यकता होने पर समिति को आवश्यक सुझाव दें ताकि समितियां जवाबदेही से काम करें, लंबित विषयों को समयबद्ध तरीके से निपटायें।

12. हमारी समितियों में दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करने की उत्कृष्ट परंपरा है। हमें संसदीय समितियों को और मजबूत सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि संसदीय समितियां अपने रचनात्मक सुझावों के माध्यम से सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाकर कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें।

13. राज्यों की विधानसभाओं में हमें माननीय सदस्यों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के लिए शून्य काल की परंपरा आरम्भ करनी चाहिए जिससे कि वे अपने क्षेत्रों की त्वरित और ज्वलंत मुद्दे अपने सदन में उठा सकें इसके लिए भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता है।

14. पीठासीन अधिकारियों को अपने प्रदेश में स्थित लोकतांत्रिक संस्थाओं के मार्गदर्शक की भूमिका भी निभानी चाहिए। जब हम एक आदर्श विधान मंडल के रूप में काम करेंगे तो उस प्रदेश की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के लिये आदर्श मार्गदर्शक की भूमिका भी अदा कर सकते हैं।

15. आज इस सम्मेलन के पूर्ण होने पर हम यहां से यह संकल्प लेकर जाएं कि यहाँ लिए गए सभी निर्णय, सभी संकल्पों को निश्चित समय पर पूरा करेंगे। हमारा यह भी संकल्प हो कि जब देश की आजादी के सौ साल पूरे हों तो पीठासीन अधिकारियों के इस शताब्दी वर्ष के सम्मेलन को एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाये जब हमने अपनी विधान मंडलों की भूमिका को एक नयी दिशा दी, विधायिकाओं की कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात किया तथा एक अधिक सशक्त, जवाबदेह और पारदर्शी विधायी संस्था के लिए कार्ययोजना बनायी जो जनता की हमसे बढ़ती आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हो।

16. अगले 25 साल के बदलते परिवेश में हमारे विधान मंडल देश और प्रदेश के नागरिकों के प्रति जवाबदेही के स्तम्भ के रूप में कार्य करेंगे जो अधिक सशक्त, समर्थ, सजग, पारदर्शी होंगे। हमारे विधान मंडल अपनी संवैधानिक, नैतिक, सामाजिक और संसदीय कर्तव्यों के लिए संकल्पित भावना से कार्य करेंगे। ये विधान मंडल सारगर्भित चर्चा और संवाद के माध्यम से आमजन की समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं की पूर्ति के केंद्र बनेंगे।

17. आप सभी पीठासीन अधिकारियों को इस सम्मेलन में सम्मिलित होने, अपने विचार हमारे साथ साझा करने तथा विधायी संस्थाओं की भावी रूपरेखा तैयार करने के प्रयासों में सक्रिय योगदान के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।